

तारीख 26/2017

रिपोर्ट / लेखी


आज्ञा विस्तृत रूप से

विषय

क्र.सं.  
दिनांक आज्ञा  
या कार्यवाही

301  
2023

पत्रावली प्रस्तुत। वाडी व वाडी के अधिका  
द्वारा आज भी कुर्जात के संबंध में प्राप्त  
रिपोर्ट पर जवाब/बहस नहीं की गई। तहसीलदार  
अजमेर से कुर्जात के संबंध में रिपोर्ट दिनांक  
29/2022 के प्राप्त हुई। उनके पश्चात वाडी  
व वाडी अधिका के लगातार चार पेशीयों  
से जवाब/बहस हेतु ज्ञापन दिया गया परन्तु  
वाडी ने जवाब/बहस नहीं की। पूर्व में भी  
रिपोर्ट गुणावगुण के माध्यम पर निस्तारण जायत  
अज्ञात किया गया था। परन्तु वाडी द्वारा  
जवाब/बहस नहीं की गई। तहसीलदार अजमेर  
से प्राप्त रिपोर्ट का अन्वेषण किया गया।  
तहसीलदार अजमेर जयपुर ने रिपोर्ट में उल्लिखित  
किया है कि बादग्रस्त आशानी सम्पूर्ण ग्राम या  
कोलीनी काकल अकृषि कार्य में उपयोग  
हो रहा है। सम्पूर्ण ग्राम में <sup>सम्पूर्ण</sup> ~~सम्पूर्ण~~ के कारण  
(अकृषि उपयोग) किसान कहां कबला है  
कोई पता नहीं चल रहा है। अतः कुर्जात  
खाना संभव नहीं है। तहसीलदार अजमेर  
जयपुर की रिपोर्ट अनुसार क्विडित आशानी पर  
सूखण को जा चुके हैं तथा अकृषि उपयोग  
हो रहा है। अतः वाड का कोई मौजिब नहीं  
रह जाता है। अतः तहसीलदार अजमेर जयपुर

  
सहायक कलेक्टर  
अजमेर जयपुर


# फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर आमेर नु. जयपुर

रविन्द्र बनाम लेडी

26/20/17

मा संख्या / वर्ष

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>की रिपोर्ट के अनुसार वास वादी खारिज किया जाता है। पत्रकली फैमल शुमार होकर दाखिल किए गए हैं।</p> <p></p> <p>सहायक कलेक्टर आमेर नु. जयपुर</p>	